कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय

ब्लॉक–3, द्वितीय/तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

क्र...03... /317/आउशि /आडिट/2019 अटल नगर, रायपुर, दिनांक 1-2-20

प्रति,

प्राचार्य,
शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय
मस्तूरी जिला बिलासपुर (छ.ग.)

विषय :– विभागीय अंकेक्षण अवधि 07/2004 से 07/2016 तक का उत्तर भेजने बाबत् ।

संदर्भ :– आपका पत्र कमांक 112/स्था./2019, दिनांक 24.05.2019

-----00-----

संदर्भित पत्र द्वारा विभागीय अंकेक्षण अवधि 07/2004 से 07/2016 तक का उत्तर तैयार कर भेजा गया है । आपके द्वारा प्रेषित उत्तर के तारतम्य में कंडिका कमांक--1, 2, 5, 6, 10 11, 13, 14, 15, 16, 17 को निर्णित मान्य किया जाता हैं । शेष कंडिका अनिर्णित है ।

अनिर्णित कंडिकाओं के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही कर पुनः प्रतिवेदन 02 प्रतियों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें । प्रतिवेदन में महाविद्यालय की टीप के पश्चात् संचालनालय की टीप हेतु कॉलम रिक्त रखा जावें ।

संलग्न :– मूल प्रतिवेदन ।

अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

स्थापना / लेखा

14-02-2020

317
14/2/2020

कार्यालय प्राचार्य शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय मस्तूरी ,बिलासपुर छग.

प्रतिवेदन का उत्तर निम्न प्रारूप में आडी सीट तैयार आपकी ओर प्रेषित है

	कांडिका की नकल	प्राचार्य का उत्तर
1	कंडिका क्रमांक –01 :– शासकीय डाक टिकट के संबंध में :– अंकेक्षण अवधि में आवक/जावक रजिस्टर का परीक्षण करने पर पाया गया कि डाक भेजे जाने वाले लिपिक द्वारा उपयोग किए गये शासकीय डाक टिकट का लेखा जोखा जावक रजिस्टर में प्रविष्ठि नही किया गया है जिससे ज्ञात नहीं हो सका कि कितनी का डाक टिकट व्यय किया गया और कितने का डाक टिकट शेष बचत है जो एक गंभीर अनियमितता है। कृपया शासकीय डाक टिकट के आय एवं व्यय की प्रविष्ठि जावक रजिस्टर किया जाकर आडिट को अवगत करावें।	आवक जावक पंजी में डाक टिकट की लेखा जोखा कर लिया गया है। (रजि.की छायाप्रति संलग्न) आपत्ति निराकृत।
2	कंडिका क्रमांक 02 – प्रतिभूति की राशि जमा करायें,जाने बाबत् :– वित्त संहिता भाग – एक के नियम 282 के अनुसार महाविद्यालय में कार्यरत ग्रंथपाल , क्रीडाधिकारी , लेखापाल , कैशियर , स्टोर प्रभारी एंव प्रयोगशाला तकनीशियनों से प्रतिभूति की राशि जमा कराया जाना चाहिए । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय में कार्यरत उपरोक्त कर्मचारियों से प्रतिभूति की राशि नही ली गई। कृपया संबंधियों से नियमानुसार प्रतिभूति की राशि रू. 1000.00 जमा कराया जाकर आडिट को अवगत करावें।	म्हाविद्यालय में कार्यरत ग्रथालय क्रीडाधिकारी ,लेखापाल ,कैशियर ,स्टोर प्रभारी एवं प्रयोगशाला तकनीशियन से प्रतिभूति की राशि जमा करा ली गई है। (छायाप्रति संलग्न) आपत्ति निराकृत।
03	कंडिका 03 – स्वाध्यायी छात्रों से ली गई प्रायोगिक शुल्क की राशि के संबंध में : – अंकेक्षण के दौरान अशासकीय कैशबुक एवं व्हाउचरों के परीक्षण करने पर पाया गया कि महाविद्यालय में स्वाध्यायी छात्रों से प्रायोगिक कार्य हेतु शुल्क की गई है इसकी जानकारी मेमों क्रमांक –2 अनुसार चाही गई थी। प्राचार्य द्वारा उक्त जानकारी तैयार कर बाद में प्रस्तुत किए जाने का लेख किया है। इससे यह ज्ञात नहीं हो सका कि प्रति वर्ष कितने स्वाध्यायी छात्रों को प्रायोगिक कार्य हेतु प्रवेश दिया गया था , उनसे कितनी राशि शुल्क लिया गया तथा कितनी राशि का प्राध्यापकों/प्र.शा.तक/प्र.शा.परि. को वितरित किया तथा कितनी राशि शेष बचत रहा। कृपया उपरोक्त जानकारी बर्षवार तैयार कर आडिट को उपलब्ध करावें।	स्वाध्यायी छात्रो से ली गई प्रायोगिक कार्य हेतु व्यय किया गया एवं नियमानुसार प्राध्यापको /प्रयोग शुल्क तकनीशियन /प्रयोगशाला परिचारको को वितरण की कार्यवाही जारी है।
04	कंडिका क्र. 04 अनुपयोगी सामग्रियो की नीलामी :– भौतिक सत्यापन रिपोर्ट मार्च 2016 के अनुसार महाविद्यालय के विभागों में सामग्री अनुपयोगी पाये गये है। एसे अनुपयोगी सामाग्रियों जैसे लोहें की आलमारी , कुर्सियों , टेबल , फ्रीज , टी.वी. कम्प्यूटर एवं अन्य उपकरण/सामग्री को नियमानुसार अपलेखित कर छ.ग. शासन के वित्त निर्देश 53/2012 के सरल क्र. 27 पर दिये निर्देशानुसार अपलेखित कर छ.ग. शासन के वित्त निर्देश 53/2012 के सरल क्र. 27 पर दिये निर्देशानुसार नीलाम कर उनसे प्राप्त राशि को विभागीय आय शीर्ष में जमा किया जाना चाहिए। अंकेक्षण अवधि 07/04/ से 07/16 तक की अवधि में महाविद्यालय में ऐसी सामाग्रियों को नीलाम किया जाकर उनसें	भौतिक सत्यापन रिपोर्ट 2016 के अनुसार विभागो के अनुपयोगी सामग्रियों को अपलेखन की कार्यवाही की गई है ।अलमारी ,कुर्सियों तक टेबल के रिपेयर कार्यवाही जारी है ।कम्प्युटर को इंजीनियर के जांच उपरांत अनुपयोगी कम्प्युटरो का नीलामी कार्यवाही की जायेगी नीलमी से प्राप्त राशि को कोंषालय के जमा कर चालान की प्रति तथा सामग्रियों की सूची आडिट को उपलब्ध करा दी जायेगी।

	प्राप्त राशि कों कोषालय में जमा कर चालान की प्रति तथा अनुपयोगी सामग्रियों की सूची आडिट को उपलब्ध करावें।	
05	**कंडिका 05 – काशनमनी की राशि राजसात किए जाने बाबत :–** महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले छात्रों के काशनमनी ली जाती है तथा उनके महाविद्यालय छोड़ने के तीन वर्ष के भीतर उनके मांगे जाने पर लौटाया जाता है , तथा जो राशि नही लौटायी जाती उसे राजसात कर कोषालय में जमा किया जाना चाहिए। अंकेक्षण अवधि में काशनमनी की राशि को राजसात कर कोषालय में जमा किया जाना नहीं पाया गया जिससे शासन को राजस्व की हानि हो रही है। कृपया काशनमनी की राशि जो छात्रों को नही लौटायी गई है कि वर्ष 2000–2001 में नियमानुसार	महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले छात्रो को महाविद्यालय छोडने पर तीन वर्ष के भीतर मांगे जाने पर काशनमनी लौटा दी जाती है शेष बचे कुछ छात्रो का वर्षवार गणना कर राशि कोषालय में जमा कर चालान की प्रति छायाप्रति संलग्न। आपत्ति निराकृत। निराकृत
06	**कंडिका क्रमांक 06 – ए.एफ.मद की राशि का रिजर्व फंड में जमा न करने बाबत् :–** ए. एफ. मद की राशि का रिजर्व फंड में जमा न करने बाबत् :– ए.एफ. नियम –14 के अनुसार ए.एफ.मद में प्राप्त राशि एवं 30 जून तक ब्यय न किए जा सके ऐसी अब्ययित राशि को रिजर्व फंड में जमा किया जाना चाहिए। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय में ए.एफ.मद में प्राप्त राशि का 5 प्रतिशत राशि एवं 30 जून को शेष अब्ययित राशि को रिजर्व फंड में जमा नही किया गया है। अत : ऐसी राशि की गणना वर्षवार किया जाकर उसे रिजर्व फंड में जमा कर आडिट को अवगत करावें।	ए. एफ. मद की राशि नियम के अनुसार ए. एफ. मद की राशि 30जून तक 5 प्रतिशत राशि रिजर्व फण्ड में जमा कर दी गई है। आपत्ति निराकृत। निराकृत
07	**कंडिका 07 – फर्नीचर/उपकरण/पुस्तके /एवं रसायन क्रय करने के संबंध में :–** अंकेक्षण अवधि में शासकीय कैशबुक एवं व्हाउचरों के परीक्षण करने पर पाया गया कि संलग्न सूची अनुसार रसायन /उपकरणं , फर्नीचर एवपं पुस्तकें क्रय किया है । समस्त क्रय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से बचने के लिए टुकडो–टुकडो में किया जाता है । जो छ.ग. वित्तीय संहिता भाग –1 के नियम 119 में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है ।चीज तथा रू. 50000.00 प्रति इंडेन्ट तक क्रय करने का अधिकार प्रदत्त हे जिसकी अवहेलना प्राचार्य द्वारा की गई । छ.ग. भंडार क्रय नियम 4:3:2 के अनुसार राशि 500.00 से अधिक क्रय निविदा आमंत्रित कर तथा नियम 4:3:3 के अनुसार 50000.00 से अधिक का क्रय समाचार समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से किया जाना चाहिए । इस प्रकार भंडार क्रय नियमों का भी पालन नही किया गया है। इस प्रकार प्राचार्य द्वारा वित्तीय सीमा से अधिक का क्रय बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से तथा भंडार क्रय नियमों के विपरित किया गया है जो वित्तीय अनियमिता की श्रेणी में आता है। अतः समस्त क्रय की घटनोत्तर स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर अडिट को अवगत करावें	फर्नीचर /उपकरण /पुस्तकें एवं सामान क्रय करने के सतत् जानकारी के अभाव में राशि रू.30000.00 प्रति चिज एवं 50000.00 प्रति इंडेन्ट क्रय किया गया है जिसमें घटनोत्तर स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारीको पत्र लिखा जा चुका है। भविष्य में इसकी पुनरावृति नही होगी। प्रमाणित यथावत
08	**कंडिका क्रमांक 08 :–महाविद्यालय में कम्प्युटर चोरी होने बाबत् :–** अंकेक्षण अवधि में भौतिक सत्यापन रिर्पोट 2016 का अवलोकन करने पाया गया कि भौतिक शास्त्र विभाग का कम्प्युटर जिसकी कीमत रू.40700.00 है अज्ञाात व्यक्तियो द्वारा माह मई –जून 2013 के दौरान चोरी कर लिया गया । प्राचार्य द्वारा प्राथमिकी थाना में दर्ज कराया गया है।इस संबंध में कोई जानकारी मेमो क्रमांक 1 के बिन्दु क्रमांक 4 में चाही गई थी परन्तु प्राचार्य द्वारा इस संबंध में जानकारी उपलब्ध नही कराया	महाविद्यालय में कम्प्युटर चोरी अज्ञात व्यक्तियो द्वारा चोरी की गई जिसकी सूचना थाना प्रभारी को दर्ज कराया गया है। जानकारी के अभाव में प्राचार्य द्वारा इस संबध में जानकारी उपलब्ध नही कराया गया। चोरी से हुई हानि के संबध में उक्त कम्प्युटर अनुपयोगी होने के जानकारी उपलब्ध नही कराई गयी थी ।

	गया । कृपया चोरी से हुई हानि के संबध में जानकारी आडिट को उपलब्ध करावे तथा इस संबध में नियमानुसार की गई कार्यवाही से अवगत करावें	आपत्ति निराकृत।
09	**कंडिका क्रमांक –09:–वैट टैक्स की राशि जामा करने बाबत:–** शासकीय कैशबुक के परीक्षण करने पाया गया कि संलग्न सूची के अनुसार संबंधित संस्थानों के देयकों का भुगतान वेट टैक्स सहित किया गया है। संबंधित संस्थानों द्वारा वैट टैक्स शासकीय खजाने में जमा किया गया है तो चालान कि प्रति अथवा नही जमा किया गया है तो संबंधित संस्थानों से वैट टैक्स की राशि वसूलकर कोषालय में जमा किया जावे तथा चालान की छायाप्रति से आडिट को अवगत करावें ।(सूची संलग्न)	पूर्व देयको के समस्त राशि वैट टैक्स की राशि चालान द्वारा जमा किया है कि नही उक्त संबंध के चालान की छायाप्रति उपलब्ध कराने हेतु संबंधित संस्थानों को पत्र प्रेषित गया है जो निम्नानुसार है। पत्र प्राप्त होते ही निरीक्षण दल को अवगत करा दिया जावेगा।
10	**कंडिका क्रमांक –10:– सी.पी. एस.अंशदान कटौती का रजिस्टरसंधारण करने बाबत् :–** अंकेक्षण अवधि में पाया गया कि दिनांक 01.11.2014 के पश्चात् नियुक्त शासकीय सेवकों की वेतन से प्रतिमाह काटी जाने वाली सी.पी.एस. अंशदान के लिए रजिस्टर का संधारण नही किया गया है और न ही इन्हे आवंटित पी.आर. ए.एन. (प्रान नं.) की प्रविष्ठि सेवा पुसतिका में की गई है। कृपया अंशदायी पेशन योजना के अन्तर्गत आने वाले शासकीय सेवकों की वेतन से प्रतिमाह काटी जाने वाली सी.पी. एस. अंशदान की राशि के लिए एनेक्शचर –03 अनुसार एनेक्श्चर –5 में रजिस्टर संधारित कर तथा सेवा पुस्तिका में पी.आर. ए. एन.न. की प्रविष्ठि कर आडिट को अवगत करावे।	दिनांक 01.11.2004 के पश्चात नियुक्ति शासकीय सेवकों की वेतन से काटि जाने वाली राशि सी.पी. एस. अंशदान के लिए इनके व्यक्तिगत पास बुक में प्रतिमाह प्रवृष्टि की जाती है। आपत्ति निराकृत।
11	**कंडिका क्रमांक :– कैशबुक में प्रविष्ठि नही बाबत् :–** अंकेक्षण के दौरान शासकीय कैशबुक एवं व्हाउचरों के परीक्षण करने पर पाया गया कि गुरू घासीदास विश्वविद्यालय ,बिनलासपुर को दिनांक 03.11.2007 को उनके रसीद क्रमाक 5979/81 दिनांक 03.11. 2007 का राशि रू.14205 .00 का भुगतान किया गया है परन्तु इसकी प्रविष्ठि कैशबुक में नही पाई गई कृपया उक्त राशि की कैशबुक में प्रविष्ठि किया जाकर आडिट को अवगत करावे।	गुरू घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर को दिनांक 03.11.2007 को राशि रू.14205.00 का भुगतान किया गया जिसके प्रविष्ठि कैशबुक में कर लिया गया है । (छायाप्रति संग्लन) आपत्ति निराकृत। शासकीय केशबुक पेज नं. 7 में 1000 और पीडी केशबुक 239 में 13205 प्रविष्ठि कर ली गई छायाप्रति संलग्न है।
12	**कंडिका क्रमांक –12:– फर्नीचर क्रय करने बाबत् :–** अंकेक्षण अवधि में अशासकीय कैशबुक एंव व्हाउचरो का परिक्षण करने पर पाया गया कि में अशोक इन्डस्ट्रीज बिलासपुर से राशि रू. 53708.00 का फर्नीचर क्रय किया गया है जिसके बिल 452दिनांक 23.08.13 की राशि रू. 53708.00 का भुगतान किया जाकर इसकी प्रविष्ठि कैशबुक में दिनांक 30.08.13 को सब व्हाचर क्र. 24/30. 08.13 पर की गई है उपरोक्त क्रय प्राचार्य को प्रदत्त वित्तीय अधिकारी की सीमा से अधिक होने के कारण सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक है। बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के उक्त क्रय आडिट को मान्य नहीं है।कृपया सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर आडिट को मान्य नही है।कृपया सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर आडिट को अवगत करावे।	अशोक इण्डस्टीज बिलासपुर से राशि रू. 53708.00 का फर्नीचर क्रय किया गया है। जिसकी घटनोत्तर स्वीकृति हेतु आवेदन प्रेषित की जा चुकी है।
13	**कंडिका क्रमांक –13:– चलानो का सत्यापन कोषालय से कराये जाने बाबत् :–** छ.ग. कोषालय संहिता भाग –01 के सहायक नियम 53(5) में यह प्रावधान है कि शासकीय कर्मचारी द्वारा शासकीय राशि जब कोषालय /बैक में जमा कराई जाती है तब जमा राशि क चालान की मूल प्रति को कैशबुक में दर्ज करने के पूर्व कोषालय /बैक में प्रविष्ठि को प्रमाणित करना चाहिए । कोषालय में जमा राशि मिलान नही किया जाना अथवा लंबे	कोषालय द्वारा सत्यापन करा ली गई है। (छायाप्रति संग्लन) आपत्ति निराकृत।

	अंतराल के बाद किया जाना नियमो के प्रतिकूल है तथा गभीर लापरवाही का प्रतीक है । उपरोक्त की ओर ध्यान आंकर्षित कर निर्देशित किया जाता हैकि कोषालय /बैकमें चालान द्वारा जमा की गई राशियों का मिलान कोषालय अभिलेख से कर यह सुनिश्चत किया जाय कि शासकीय धन राशि वास्तव में शासकीय कोष में जमा हो गई है।	
14	**कंडिका क्रमांक –14:–विद्युत देयक राशि के भुगतान के संबध में** अंकेक्षण अवधि में अशासकीय कैशबुक एवं व्हाउचरो के परीक्षण करने पर पाया गया कि विद्युत देयक की राशि रू. 90690.00 का भुगतान पी.डी.मद से किया जा कर उसकी प्रविष्ठि कैशबुक पृ.क्र. 50/28.11.13 सब व्हाउंचर क्र. 38/28.11.13 पर की गई है विद्युत देयक की राशि का नियमानुसार भुगतान शासकीय मद से किया जाना चाहिए । कृपया उपरोक्त राशि को शासकीय मद से आहरित कर पी.डी. खाते में समायोजित कर आडिट को अवगत करावें ।	विद्युत देयक की राशि प्राप्त आबंटन क अभाव के पी.जी. मद से राशि आहरित मद भुगतान किया गया था त्रटिवंश पी.डी. कैश बुक में प्रविष्टि की गई थी जिसे आबंटन प्राप्त होते ही नैमित्तिक मद से आहरित कर समायोजित कर ली गई है। आपत्ति निराकृत।
15	**कंडिका क्रमांक 15:–अग्रिम समायोजन के संबंध में** :– अंकेक्षण अवधि में अशासकीय कैशबुक एवं व्हाचारों एवं व्हाउचरों के परीक्षण करने पर पाया गया कि छात्र संघ प्रभारी डॉ0दुर्गाबाजपेयी द्वारा छात्र संघ शपथ ग्रहण समारोह हेतु राशि रू.1500.00 का अग्रिम लिया गया जिसकी प्रविष्ठि कैशबुक पृ.क्र. 236/19.09.2007 पर किया गया है ।डॉ. बाजपेयी द्वारा राशि रू. 945 का समायोजन किया गया है । जिसकी प्रविष्ठि कैशबुक पृ. क्र. 238/29.09.2007 पर किया गया हैं इस प्रकार राशि रू. 555.00 का समायोजन नही किया गया है। कृपया असमायोजित राशि रू. 555.00 संबंधित अधिकारी से वसूल करए.एफ. मद में जमा कर आडिट को अवगत करावे। (2) अंकेक्षण अवधि में पाया गया कि महाविद्यालयीन गतिविधियों के लिए समय –समय पर अधि./कर्मचारियों का अग्रिम दिया गया है परन्तु इसकी प्रविष्ठि अग्रिम रजिस्टर में नही किए जाने से ज्ञात नही हो सका कि किन किन कर्मचारियों को कितनी कितनी राशि अग्रिम दिया गया है और उसका समायोजन कब कब हुआ है।अतः अंकेक्षण अवधि से वर्तमान तक दिये गएअग्रिमो रजिस्टर में प्रविष्ठि किया जाकर आडिट को अवगत करावे ।	पी.डी.केशबुक पेज क्रमांक 238 में 1000 एवं केशबुक पेज क्रमांक 07 में 500 रूपयें समायोजित कर लिया गया हैं आपत्ति निराकृत।
16	**कंडिका क्रमांक –16:– पी.डी. मद से राशि ब्यय के संबंध में** :– अंकेक्षण अवधि में अशासकीय कैशबुक एवं व्हाउचरों के परीक्षण करने पर पाया गया कि निम्नानुसार राशि का ब्यय ए. एफ. मद से किया जाना चाहिए । कृपया इसका समायोजन ए.एफ. मद में किया जाकर आडिट को अवगत करावे ।तथा भविष्य में उक्त कार्य हेतु ब्यय ए.एफ. मद से किया जाना सुनिश्चित करे	कोषालय में पी.डी. एवं ए.एफ. मद की राशि जमा किया जाता हैं । छात्रसंघ चुनाव शपथ ग्रहण समारोह की राशि पी.डी. मद में व्यय की गई है उक्त राशि 13270.00 को ए.एफ. मद में समायोजित कर ली गई है। आपत्ति निराकृत।

क्र.	कैशबुक पृ.क्र. व दिनांक	सब व्हा. क्र. व दिनांक	राशि
01	27/13.09.10	01/13.09.10	1650/00
02		01/06.11.04	1938/00
03	94/16.01.12	38/16.01.12	1000/00
04	116/16.03.15	49/16.03.15	3735/00
5.	50/16.03.15	50/16.03.15	1791/00

(6)

6.	01 से 15 / 22.02.2006	01 से 15 / 22.02.2006	2918/00
7.	206/29.11.06	15/29.11.06	1238/00
योगः–			13270.00

17 कंडिका–सेवा पुस्तिकाओं में पाई गई कमियांः–

अंकेक्षण अवधि में महाविद्यालय में कार्यरत अधिकारी/ कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका के अवलोकन करने पर निम्न लिखित कमियां पाई गई जिसकी पूर्ती कर आडिट को अवगत करावें –

उत्तर: अधिकारी /कर्मचारियों सेवा पुस्तिका मे जन्मतिथि प्रमाणित कर सेलोटेप चस्पा किये जा चुका है।साथ ही संबंधित से नामांकन फार्म भरा लियां गया है। आपत्ति निराकृत। निराकृत

18 कंडिका–जनभागीदारी समिति के मद से सामाग्री क्रय करने बाबतः–

अंकेक्षण अवधि में जनभागीदारी समिति के कैशबुक एवं व्हाउचरों के परीक्षण्ण करने पर कि जनभागीदारी मद से प्राचार्य द्वारा वित्तीय सीमा से अधिक की सामग्री का क्रंय किया गया है जिसके लिए सक्षम अधिकारी से स्वीकृति नहीं ली गई है। सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना आडिट को मान्य नहीं है। विवरण निम्नानुसार है–

क्र.	फर्म का नाम	बिल क्र. व दि.	राशि	कैशबुक पृ. क्र. व दि.	सब. व्हा. क्र. व दिनांक
1.	इंटरलिंक जी.ई. रोड़ बिलासपुर	10/24. 01.07 (फर्नीचर)	78704/00	22/26. 03.07	33/26. 03.07
2.	उषा एजेंसी भारतीय नगर बिलासपुर	337/11. 01.10 (जनरेटर)	66319/00	93/132. 01.10	74/13. 014.10

उत्तर: जनभागीदारी समिति कैशबुक के क्रमशः राशि रू. 78704.00एवं 66319.00 की राशि सक्षम अधिकारी से घटनेत्तर स्वीकृति हेतू पत्र प्रेषित कर दिया गया है घटनोत्तर स्वीकृति प्राप्त होते है आडित को अवगत कर दी जायेगी ।

यथावत
यथावत

19 कंडिका–जनभागीदारी समिति के मद से मजदूरी का भुगतानः–

अंकेक्षण अवधि में जनभागीदारी समिति मद के कैशबुक एवं व्हाउचरों के परीक्षण करने पर पाया गया कि समिति की मद रसे संलग्न सूची अनुसार राशि रू.2.56.934/– की दैनिक मजदूरी का भुगतान किया गया है।

जनभागीदारी समिति के कार्यकलापों के संबंध में छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दिनांक 30.06.1996 को जारी नियमों के अनुसार नियम –(छ) में निर्देशित किया गया है कि समिति की निधि का उपयोग सोसल गेदरिंग , निर्वाचन, स्वागत विज्ञापन जैसी गैर अकादमी गतिविधियों के लिए नही किया जावेगा तथा नियम – (झ) अनुसार समिति अपने कार्यो के लिए कोई स्टॉफ नियुक्त नही करेगी । महाविद्यालय के किसी एक कर्मचारी को ही समिति की राशि में से मानदेय देकर अपना कार्य संचालन करेंगी।

अत : मजदूरी पर किया गया व्यय गैर अकादमिक होने के कारण आडिट को मान्य नही है। कृपया मजदूरी के लिए किये गये उपरोक्त व्यय राशि की स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर आडिट से प्राप्त कर आडिट को अवगत करावें।

उत्तर: जनभागीदारी में मजदूरी भुगतान मजदूरी तत्कालिक समय में महाविद्यालय में स्वीपर का पद रिक्त होने के कारण उक्त कार्य किसी अन्य कर्मचारी से कराया जाना संभव नही था। वर्तमान में स्वीपर की नियुक्ति होने के पश्चात मजदूरी भुगतान नही किया जा रहा है भविष्य में इसकी पुनरावृति नही होगी। आपत्ति निराकृत।

यथावत
यथावत

अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय
अटल नगर, जिला रायपुर (छ.

प्राचार्य
शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय
मस्तूरी, जिला बिलासपुर छ.ग.
PRINCIPAL
Govt. Pataleshwar College
Masturi Distt. Bilaspur (C.G.)

कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय

ब्लॉक–3, द्वितीय/तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

क्र. 1171 /आउशि/आडिट/2022 नवा रायपुर, दिनांक 8/3/2022

प्रति,

प्राचार्य,
शासकीय महाविद्यालय मस्तूरी
जिला–बिलासपुर (छ.ग.)

विषयः– विभागीय अंकेक्षण अवधि 06/2018 से 10/2020 तक का प्रेषण।

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक 466/स्था./2021, दिनांक 23.11.2021

––00––

उपरोक्त संदर्भित पत्र के संबंध में लेख है कि उक्त प्रतिवेदन में भेजी गई जाकनारी के अनुसार कंडिका कमांक–01, 02, 03, 04, 05, 06, 08 निराकृत किया गया है एवं लंबित कंडिका कमांक–07 – के संबंध में राशि रू. 2,11,700/– के किताबे कय संबंधी आदेश, विज्ञापन, तुलनात्मक पत्र एवं कोटेशन प्रेषित करें ।

अतः कंडिका कमांक–7 के आक्षेप अनुसार स्पष्ट जानकारी मय साक्ष्य पालन प्रतिवेदन 07 दिवस के अंदर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि आडिट कंडिका निराकरण कर अनापत्ति जारी किया जा सके विलंब की जवाबदारी प्राचार्य की होगी ।

8/3/22

(आर.के. शुक्ला)
अपर संचालक(वित्त)
उच्च शिक्षा संचालनालय
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

HC
for n.a.
11.03.22

E.Audit 2020Letter 2022

कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय

ब्लॉक–3, द्वितीय/तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

क्र......514/ 149 /आउशि/आडिट/2022 नवा रायपुर, दिनांक 07/06/2022

प्रति, //स्मरण पत्र//

प्राचार्य,
शासकीय महाविद्यालय मस्तूरी
जिला–बिलासपुर (छ.ग.)

विषयः– विभागीय अंकेक्षण अवधि 06/2018 से 10/2020 तक का प्रेषण।

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक 466/स्था./2021, दिनांक 23.11.2021 एवं इस कार्यालय का पत्र कमांक 472, दिनांक 08.03.2022.

––00––

इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र कमांक 472 के संदर्भ में आज दिनांक तक आपके द्वारा जानकारी प्रेषित नहीं की गई है । लेख है कि आपके द्वारा भेजे गये जानकारी के अनुसार कंडिका कमांक–01, 02, 03,. 04, 05, 06, 08 निराकृत किया गया है एवं लंबित कंडिका कमांक–07 – के संबंध में राशि रू. 2,11,700/– के किताबे कय संबंधी आदेश, विज्ञापन, तुलनात्मक पत्र एवं कोटेशन प्रेषित करें ।

अतः कंडिका कमांक–7 के आक्षेप अनुसार स्पष्ट जानकारी मय साक्ष्य पालन प्रतिवेदन 07 दिवस के अंदर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि आडिट कंडिका निराकरण कर अनापत्ति जारी किया जा सके विलंब की जवाबदारी प्राचार्य की होगी ।

HC
for nav

8/6/22
(आर.के. शुक्ला)
अपर संचालक(वित्त)
उच्च शिक्षा संचालनालय
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)